

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

कार्यालय दूरभाष नं. 07662-241655

ई-मेल - deanmcrewa@rediffmail.com

फैक्स नं. 07662-241655

वेबसाइट- www.ssmcrewa.com

क्रमांक...15754/स्था/अराज/एमसी/विज्ञप्ति/2023

रीवा, दिनांक...3/6/23

// विज्ञप्ति //

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./एन.एच.एम./एच.आर./2022/8600, भोपाल, दिनांक 05.12.2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-24 तक प्राप्त स्वीकृति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./एन.एच.एम./एच.आर./2020/9867, भोपाल, दिनांक 28.07.2020 द्वारा निर्धारित शैक्षणिक अर्हता एवं मानदेय तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./एन.एच.एम./एच.आर./2021/11723, भोपाल, दिनांक 26.07.2021 द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा मानव संसाधन मैनुअल-2021 (संशोधित) के अनुसार चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा में एन.एच.एम. द्वारा संचालित शिशु शल्य चिकित्सा इकाई (PSU), R.E.I.C., S.N.C.U. & S.M.T.U में निम्नलिखित संविदा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:-

ऑनलाइन आवेदन पत्र	
आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि	10 जुलाई, 2023
आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि	30 जुलाई, 2023
आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि	25 जुलाई, 2023
आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि	31 जुलाई, 2023
परीक्षा शुल्क	
अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए	रु. 870/- + जी.एस.टी.(रु. 700/- संस्था हेतु तथा रु. 170/- + जी.एस.टी. पोर्टल चार्ज)
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ निःशक्तजन/ ई.डब्ल्यू.एस. अभ्यर्थियों के लिए (केवल म.प्र. के मूल निवासियों के लिए)	रु. 520/- + जी.एस.टी.(रु. 350/- संस्था हेतु तथा रु. 170/- + जी.एस.टी. पोर्टल चार्ज)
आवेदन में सुधार करने हेतु रु. 50+जी.एस.टी.	
आवेदन करने का URL-	https://iforms.mponline.gov.in/

टीप:-

- विज्ञापन से संबंधित संपूर्ण जानकारी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा की वेबसाइट www.ssmcrewa.com एवं <https://iforms.mponline.gov.in/> पर उपलब्ध है।
- स्कूटनी एवं चयन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी समय-समय पर www.ssmcrewa.com पर उपलब्ध कराई जावेगी। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त वेबसाइट पर अवलोकन करते रहें, पृथक से समाचार पत्रों/व्यक्तिगत रूप से जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जावेगी।

क्रमशः पेज...02

(क) रिक्त पदों की जानकारी:-

1. नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई (एस.एन.सी.यू.)-

पद का नाम	रिक्त पद	रोस्टर अनुसार रिक्तियां					दिव्यांगजन आरक्षण
		UR	OBC	ST	SC	EWS	
स्टॉफ नर्स	07	02	02	03	-	-	01 Locomotor Disability

2. राष्ट्रीय बाल्य स्वास्थ्य कार्यक्रम की ROP में REIC Staff and PSU-

कार्यक्रम का नाम	पद का नाम	रिक्त पद	रोस्टर अनुसार रिक्तियां				
			UR	OBC	ST	SC	EWS
REIC	फिजियोथेरापिस्ट	01	01	-	-	-	-
	साइकोलॉजिस्ट	01	01	-	-	-	-
	स्पेशल एजुकएटर	01	01	-	-	-	-
PSU	स्टॉफ नर्स	01	-	-	01	-	-
	ओ.टी. टेक्नीशियन	04	02	01	01	-	-

3. शिशु स्वास्थ्य पोषण (एस.एम.टी.यू.)-

पद का नाम	रिक्त पद	रोस्टर अनुसार रिक्तियां				
		UR	OBC	ST	SC	EWS
स्टॉफ नर्स	01	-	-	01	-	-

नोट:- पदों की संख्या नियमानुसार बढ़ाई/घटाई जा सकेगी।

(ख) शैक्षणिक योग्यता एवं मानदेय:-

क्र.	पदनाम	शैक्षणिक योग्यता	मानदेय
1.	स्टॉफ नर्स	B.Sc. Nursing/GNM	Rs. 20,000/-
2.	फिजियोथेरापिस्ट	BPT/Bachelors in Occupational Therapy (Any of the above)	Rs. 25,000/-
3.	साइकोलॉजिस्ट	Graduation in Clinical Psychology Master in Clinical Psychology (Any of the above)	Rs. 20,000/-
4.	स्पेशल एजुकएटर	Special B.Ed. with Diploma in Mental Retardation.	Rs. 15,000/-
5.	ओ.टी. टेक्नीशियन	Diploma in O.T. Technician	Rs. 15,000/-

(ग) निहताएं:-

1. विकृत चरित्र वाला होने पर।
2. दुश्चरित्र होने पर।
3. शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्त्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
4. नियुक्ति के लिए प्रयास/अनुशंसा- किसी भी उम्मीदवार की ओर अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिए से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिए अनर्हकारी माना जाएगा।
5. विवाह संबंधी- जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा, उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जाएगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरुष उम्मीदवार, जिसने किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
6. दिनांक 26.01.2001 के पश्चात् जिस उम्मीदवार के जीवित बच्चों की संख्या 02 से अधिक हो गई हो, वह चयन के लिए पात्र नहीं होगा, परन्तु कोई उम्मीदवार जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान है तथा 26 जनवरी 2001 के पश्चात् आगामी प्रसव में 02 या 02 से अधिक संतान का जन्म होता है तो वह नियुक्ति के लिए अनर्ह नहीं होगा।
7. कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाए जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
8. कदाचरण संबंधी:- किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्ति नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिए परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो, यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
9. ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।

(घ) आयु संबंधी शर्तें:-

1. अभ्यर्थी की केवल वह जन्मतिथि स्वीकार होगी, जो हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी या किसी अन्य समकक्ष प्रमाण पत्र पर उल्लेखित हो, जो वास्तविक जन्मतिथि का उल्लेख करता है। आवेदन पत्र में एक बार जन्मतिथि का उल्लेख हो जाने पर किसी भी स्थिति में जन्मतिथि में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।
2. आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2023 को पद के अनुरूप न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी। अधिकतम आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संशोधन लागू होंगे।

(ड) आरक्षण संबंधी शर्तें:-

1. मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबंधों एवं मध्यप्रदेश राजपत्र 530, दिनांक 24.12.2019 के अनुसार अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित **लम्बवत् (वर्टीकल) आरक्षण** लागू होगा:-

अनुसूचित जनजाति	- 20 प्रतिशत
अनुसूचित जाति	- 16 प्रतिशत
अन्य पिछड़े वर्ग	- 27 प्रतिशत
ई.डब्ल्यू.एस.	- 10 प्रतिशत

2. **क्षैतिज (हॉरिजोन्टल) आरक्षण:-**

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 8/4/2001/आप्र/एक (पार्ट), भोपाल, दिनांक 03.07.2018 के अनुसार दिव्यांगजन को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 तथा म.प्र. दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 12 के तहत प्रत्येक सरकारी स्थापन में सीधी भर्ती के प्रक्रम में भरे जाने वाले द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी की लोक सेवाओं एवं पदों में दिव्यांगों के लिए 06 प्रतिशत आरक्षण।

3. उक्त लम्बवत् एवं क्षैतिज आरक्षण के अतिरिक्त मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1998 में नियम 4 (ख) में आदिम जनजातियों के लिए विशेष उपबंध अनुसार जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर में सहारिया आदिम जनजाति एवं जिला छिंदवाड़ा के तामिया विकासखण्ड में भारिया जनजाति के न्यूनतम अर्हताधारी आवेदकों को भर्ती से संबंधित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना नियुक्ति प्रदान की जावेगी। *ऐसे आवेदकों को विज्ञप्ति के साथ संलग्न परिशिष्ट 01 अनुसार ऑफलाइन आवेदन अंतिम तिथि के पूर्व अधिष्ठाता कार्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा में जमा कराना अनिवार्य होगा।*
4. आरक्षण का लाभ म.प्र. राज्य के मूल निवासी को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर देय होगा।
5. शारीरिक रूप से विकलांग या निःशक्त अभ्यर्थियों में निःशक्तता की प्रतिशतता का सत्यापन चिकित्सकीय बोर्ड द्वारा किया जावेगा।
6. परीक्षा का अंतिम परिणाम आने के पूर्व भर्ती में आरक्षण के संबंध में यदि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोई संशोधन किया जाता है तो नवीन संशोधन का पालन किया जाएगा एवं तदसमय लागू आरक्षण अनुसार परीक्षा परिणाम जारी किया जावेगा।

(च) सामान्य शर्तें:-

1. ये पद पूर्णतः संविदा आधार के हैं एवं इसके आधार पर नियमितीकरण का कोई दावा नहीं किया जा सकता है एवं ये पद अस्थानांतरणीय हैं।
2. संबंधित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता आवेदन करते समय पूर्ण होनी चाहिए।
3. इन पदों पर नियुक्ति 31 मार्च, 2024 तक के लिए होगी, जिसकी निरंतरता एन.एच.एम. की स्वीकृति के पश्चात् ही संभव हो सकेगी।
4. इस विज्ञापन को आंशिक या पूर्ण रूप से निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा को होगा।
5. उक्त पदों पर पदस्थापना एन.एच.एम. के एच.आर. मैनुअल, 2021 में उल्लेखित शर्तों के अधीन होगी।

(छ) चयन के मापदण्ड:-

क्र.	पदनाम	शैक्षणिक योग्यता	चयन के मापदण्ड
1.	स्टॉफ नर्स	B.Sc. Nursing/GNM	1. बी.एस.सी. नर्सिंग/जी.एन.एम. परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत का 80 प्रतिशत। 2. साक्षात्कार 20 अंक। कुल = 100 अंक
3.	फिजियोथेरापिस्ट	BPT/ Bachelors in Occupational Therapy (Any of the above)	1. बी.पी.टी./बी.ओ.टी. परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत का 80 प्रतिशत। 2. साक्षात्कार 20 अंक। कुल = 100 अंक
3.	साइकोलॉजिस्ट	Graduation in Clinical Psychology/ Master in Clinical Psychology (Any of the above)	1. क्लीनिकल साइकोलॉजी स्नातक परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत का 70 प्रतिशत। 2. क्लीनिकल साइकोलॉजी स्नातकोत्तकर परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत का 10 प्रतिशत। 3. साक्षात्कार 20 अंक। कुल = 100 अंक
4.	स्पेशल एजुकएटर	Special B.Ed. with Diploma in Mental Retardation.	1. स्पेशल बी.एड. विथ डिप्लोमा इन मेंटल रिटार्डेशन परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत का 80 प्रतिशत। 2. साक्षात्कार 20 अंक। कुल = 100 अंक
5.	ओ.टी. टेक्नीशियन	Diploma in O.T. Technician	1. डिप्लोमा इन ओ.टी. टेक्नीशियन परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत का 80 प्रतिशत। 2. साक्षात्कार 20 अंक। कुल = 100 अंक

नोट:- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./एन.एच.एम./एच.आर./सेल-1/2021/9423, भोपाल, दिनांक 10.06.2021 के अनुक्रम में कोविड-19 महामारी के अंतर्गत ऐसे अस्थाई मानव संसाधन जो न्यूनतम 89 दिवस कार्य किए हैं, को उक्त संविदा भर्ती प्रक्रिया में 10 प्रतिशत अधिभार अंक का लाभ प्रदान किया जाएगा, बशर्ते कि अनुभव प्रमाण पत्र जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

(ज) शॉर्टलिस्टिंग/मेरिट/प्रतीक्षा सूची:-

1. उपरोक्त चयन के मापदण्ड में साक्षात्कार को छोड़कर निर्धारित प्रोरेटा के आधार पर साक्षात्कार हेतु मेरिट के क्रम में 1:5 के अनुपात अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जावेगा।
2. संविदा भर्ती वर्ष में सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची, अंतिम सूची की घोषणा होने की तारीख से दिनांक 31.12.2023 तक अथवा नवीन परिणाम घोषित होने तक, जो भी पहले हो तक विधिमान्य होगी।
3. कॉमन एवं श्रेणीवार परस्पर मेरिट सूची उपरोक्त चयन के मापदण्ड के आधार पर तैयार होगी। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की आयु को विचार में लिया जाकर अधिक आयु के उम्मीदवारों को वरीयता दी जावेगी।

(झ) अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए आधार:-

किसी अभ्यर्थी की, जो निम्नलिखित किन्हीं आधारों पर दोषी पाया जाता है, अभ्यर्थिता रद्द हो जाएगी, जिसने-

1. चयन प्रक्रिया अथवा साक्षात्कार में किसी भी रीति में इस प्रकार सहयोग अभिप्राप्त किया है, जिससे उसकी अभ्यर्थिता प्रभावित हुई है या
2. प्रतिरूपण किया हो या
3. किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण का कार्य करवाया हो या
4. अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए गए हों, जो रूपांतरित किए गए हों,
5. ऐसे विवरण दिए हों, जिसमें ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हो, जो कि चयन के लिए आवश्यक हो।

(ञ) ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची:-

1. आयु के संबंध में हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची।
2. हायर सेकेण्डरी परीक्षा की अंकसूची।
3. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थानीय निवास प्रमाण पत्र।
4. वर्तमान वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र। (केवल ओ.बी.सी. आवेदकों हेतु)

5. म.प्र. राज्य के मूल निवासियों के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र। (यदि लागू)
6. म.प्र. राज्य के मूल निवासियों के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वर्तमान वित्तीय वर्ष का ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाण पत्र। (यदि लागू)
7. जिला बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र। (यदि लागू)
8. पद हेतु निर्धारित अर्हता संबंधी समस्त अंकसूची।
9. म.प्र. नर्सिंग/पैरामेडिकल काउंसिल का जीवित पंजीयन।
10. म.प्र. राज्य के रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन।
11. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कोविड-19 अंतर्गत कार्य अनुभव प्रमाण पत्र। (यदि लागू)

Mandwek

(डॉ. मनोज इन्दूरकर)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

पृ.क्र...../स्था/अराज/एमसी/विज्ञप्त/2023

रीवा, दिनांक.....

प्रतिलिपि:-

1. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश।
3. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा एवं अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा।
4. नोडल अधिकारी, एन.एच.एम., चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा।
5. स्थानीय कार्यालय, लेखा शाखा।
6. महाविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

//

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)